

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)
प्रमंडल, समस्तीपुर।

(Email Id- eeqcdivsamastipur@gmail.com)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/2026-27.

पत्रांक:..... /

समस्तीपुर, दिनांक:.....

विभागीय पत्रांक 305 (संयुक्त सचिव, अभियंत्रण) दिनांक 10.04.2024 के स्वीकृतादेश के आलोक में योजनाओं के गुणवत्ता जाँच, क्षेत्रीय भ्रमण एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडल, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च 2027 तक, एक अदद निरीक्षण वाहन (बोलोरो सामान्य) हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक बाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं०	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) चालक सहित	अभि०
01	कार्यपालक अभियंता	एकरारनामा की तिथि से 31.03. 2027 तक	01	समस्तीपुर समाहरणालय (जिला नजारत प्रशाखा) द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर रु 29000/- प्रतिमाह	

- कोटेशन आमंत्रण की तिथि :- दिनांक 13.04.2026
- कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 29.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
- कोटेशन प्राप्ति का स्थान :- कार्यपालक अभियंता का कार्यालय गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडल, समस्तीपुर
- कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 29.04.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में
- कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्त :- अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

नियम एवं शर्त:-

- भाड़े पर वाहन वर्ष 2026-27 के लिए 31.03.2027 तक के लिए लिया जायेगा तथा सेवा संतोषजनक रहने पर एकरारित दर पर अगले निर्धारित अवधि के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
- वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा। चालक का वेतन का भुगतान, आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
- सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
- वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
- वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
- भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
- वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

14. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत दर समस्तीपुर समाहरणालय (जिला नजारत प्रशाखा) के ज्ञापांक 869 दिनांक 24.09.2025 के आलोक में बोलेरो के लिए प्रतिमाह रू 29,000.00 (उनतीस हजार) (चालक सहित) अथवा न्यूनतम कोटेड दर स्वीकार होगा।
15. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा रू 1000.00(एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा।
16. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में जो अधिक हो मान्य होगा।
17. वाहन मालिक/फर्म का वैध GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
18. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जायेगा।
19. वाहन का उपयोग 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगूने दर से कटौती कर ली जायेगी।
20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
21. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
22. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 21 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 09, 10 एवं 17 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन समर्पित करेंगे। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
23. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच दिनांक 29.04.2026 के अपराहन 04.00 बजे लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनके या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24. कोटेशन के साथ क्रमांक 09, 10 एवं 17 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा कार्यालय कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।

ह०/—

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)
प्रमंडल, समस्तीपुर।

पत्रांक:- 174

/समस्तीपुर

दिनांक- 09/04/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/ अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) अंचल, पटना/ सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, समाहरणालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेत समर्पित। सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि, संबंधित कोटेशन का प्रकाशन समस्तीपुर जिला अन्तर्गत स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

Chand
09/04/26

Chand
09/04/26
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)
प्रमंडल, समस्तीपुर।

Chand
09/04/26